रजिस्ट्री सं० डी—(डीएन)—128/91

REGISTERED NO. D—(DN)—128/91

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 20] नई दिल्ली, शनिवार, मई 18, 1991 (वैशाख 28, 1913)

No. 20] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 18, 1991 (VAISAKHA 28, 1913)

(इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके)

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय

	पृष्ठ
भाग I—खण्ड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं	405
भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	565
भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	3
भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	707
भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*
भाग II—खण्ड 1—क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*
भाग II—खण्ड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं	*
भाग II—खण्ड—3—उप-खण्ड (iii) भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)	*
भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश	*
भाग III—खण्ड 1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	495
भाग III—खण्ड 2—पेटेन्ट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से संबंधित अधिसूचनाएं और नोटिस	461
भाग III—खण्ड 3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	607
भाग III—खण्ड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	1741
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस	63
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला अनुपूरक	*

*कोई अंक नहीं।

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolution issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court.	405
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	565
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence . . .	3
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	707
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1-A—Authoritative texts in Hindi Language of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills . .	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (i) General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India, (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) .	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (ii) Authoritative texts in Hindi (other than such texts, Published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of Government of India (including the Ministry of Defence) and by General Authorities (other than Administration of Union Territories) . .	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence .	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	485
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs . . .	461
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	507
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	1741
PART IV—Advertisements and Notices issued by Private individuals and Private Bodies .	63
PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folio Nos. not received.

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली दिनांक 11 अप्रैल 1991

सं० यू-13034/42/90-पी पी—अनैतिकता (उन्मूलन) अधिनियम 1956 (1956 का 104) की धारा 13 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार उपर्युक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए पुलिस अधीक्षक पांडिचेरी को एतद्द्वारा ट्रैफिकिंग पुलिस अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

एस० दत्ता,
संयुक्त सचिव

वाणिज्य मंत्रालय

(पूर्ति विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 16 अप्रैल 1991

सं० एफ०32014/2/88/स्था० I—राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित अधिकारियों को, दिनांक 31-3-91 से आगे दि० 30-6-91 तक तीन माह के लिए, या जब तक नियमित अधिकारी उपलब्ध नहीं हो जाते, इनमें से जो भी पहले हो, तक के लिए, सहायक निदेशक (पूर्ति) (ग्रेड-II) के ग्रेड में, तदर्थ आधार पर नियुक्त रहने के लिए अनुमति प्रदान करते हैं :—

सर्व/श्री

1. के० वेंकटा सुब्रमोणी
2. भास्कर भांडुडी
3. बी० मूरगाबंधू
4. बी०बी० भाधव
5. आई०सी० जैन
6. पी०एम० गुहा
7. एम०पी० सक्सैना
8. एच० बी० बोहरा
9. एस०एन० सन्याल
10. जे० जे० आर० श्रीवास्तव
11. पूरन सिंह
12. बी० के० गुप्ता
13. बी० के० कुल्याणी
14. बी० वीराइकनप
15. पी० एस० चौधी
16. मैनपाल सिंह
17. आर०के० जैन
18. एम०एस० तिवारी
19. रमेश बाबू गुप्ता
20. के०एस० तोरन
21. के०पी० विट्ठल

2. तदर्थ नियुक्ति से उपरोक्त अधिकारियों को सहायक निदेशक, (पूर्ति) (ग्रेड-II) के पद पर नियमित नियुक्ति का कोई हक प्राप्त नहीं होगा। सहायक निदेशक (पूर्ति) (ग्रेड II) के पद पर तदर्थ आधार पर की गई सेवा को पदोन्नति और स्थायीकरण के लिए नहीं गिना जाएगा।

सं० ए० 32013/7/88-स्था० I—राष्ट्रपति सहर्ष पूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय नई दिल्ली में भारतीय पूर्ति सेवा के संवर्ग में कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (सामान्य ग्रेड) के अधिकारी, श्री एम० सुंदरारमन को, कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा (प्रवरण ग्रेड—गैर कार्यात्मक) में, रु० 4500-150-5700 के वेतनमान में दिनांक 1-1-86 से नियमित आधार पर नियुक्त करते हैं।

राम प्रकाश दत्ता,
अवर सचिव

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली दिनांक 12 अप्रैल 1991

विषय :—राष्ट्रीय जनसंख्या अनुसंधान परिषद की स्थापना।

सं० बी० 16011/6/90-ई० एण्ड आई० —सरकार ने 12 अप्रैल, 1991 के संकल्प संख्या बी० 16011/6/90-ई० एंड आई के अनुसार सरकार निर्दिष्ट करती है

कि राष्ट्रीय जनसंख्या अनुसंधान परिषद का गठन इस प्रकार होगा—

1. सचिव (परिवार कल्याण) अध्यक्ष

2–10 सुप्रसिद्ध जनांकिकीविदु/समाज विज्ञानी/जनसंख्या विज्ञानी:

जनसंख्या विज्ञानी :

नाम बाद में अधिसूचित किए जाएंगे।

11–16 संस्थाएं

11. महानिदेशक, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली। सदस्य

12. निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली। सदस्य

13. महानिदेशक, केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन, नई दिल्ली। सदस्य

14. अध्यक्ष, भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद आई सी एस एस आर), नई दिल्ली। सदस्य

15. निदेशक, टाटा समाज विज्ञान संस्थान, बम्बई। सदस्य

16. निदेशक, आई आई एच एम आर, जयपुर। सदस्य

17–20 जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र

17. निदेशक, जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र बड़ोदरा सदस्य

18. निदेशक, जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, धारवाड़ सदस्य

19. निदेशक, जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, पुणे सदस्य

20. निदेशक, जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र, त्रिवेन्द्रम सदस्य

21–22 स्वैच्छिक संगठन

21. अध्यक्ष, भारतीय परिवार नियोजन संघ, बम्बई। सदस्य

22. निदेशक, चाइल्ड इन नीड इंस्टिट्यूशन बीलसपुर, 24 परगना (पश्चिम बंगाल) सदस्य

23-26 राज्य सरकारों के प्रतिनिधि

23. सचिव, परिवार कल्याण, बिहार, पटना सदस्य

24. सचिव, परिवार कल्याण, मध्यप्रदेश,भोपाल सदस्य

25. सचिव, परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। सदस्य

26. सचिव, परिवार कल्याण, पश्चिम बंगाल, कलकत्ता। सदस्य

27–29 केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधि

27. सलाहकार (स्वास्थ्य) योजना आयोग सदस्य

28. भारत के महापंजीयक सदस्य

29. परिवार कल्याण विभाग में राष्ट्रीय जनसंख्या अनुसंधान परिषद का कार्य देखने वाले संयुक्त सचिव। सदस्य

30. सदस्य-सचिव और महानिदेशक

30. निदेशक, अन्तरराष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान बम्बई।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि यह अधिसूचना भारत के राजपत्र में सूचनार्थ प्रकाशित की जाए।

विषय : राष्ट्रीय जनसंख्या अनुसंधान परिषद की स्थापना।

सं० बी० 16011/6/90-ई एण्ड आई।--जनसंख्या अध्ययन और जनसंख्या अनुसंधान ऐसे महत्वपूर्ण कार्यकलाप हो गए हैं जिनकी आमतौर पर योजना और सामाजिक-आर्थिक कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में तथा विशेष रूप से जनसंख्या नियंत्रण और परिवार कल्याण कार्यक्रम में पर्याप्त प्रासंगिकता है। इस क्षेत्र में देश के विभिन्न भागों में स्थापित जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र पिछले कई वर्षों से कार्य कर रहे हैं। इस कार्य से संबंधित क्षेत्रों में बहुत से विश्वविद्यालय, सरकारी एजेंसियां, संस्थाएं और स्वैच्छिक संगठन भी कार्य कर रहे हैं। देश में उच्चतम सीमा तक जनसंख्या नियंत्रण के राष्ट्रीय लक्ष्य तथा परिवार कल्याण प्रयत्नों को सफल बनाने के लिए इन सभी प्रयासों में, विशेष रूप से जनसंख्या अनुसंधान केन्द्रों के कार्यकलापों में, समन्वय करना और उन्हें व्यवस्थित करना आवश्यक है।

2. भारत सरकार द्वारा जनसंख्या अनुसंधान केन्द्रों की समीक्षा करने के लिए प्रो० मुनिस रज़ा की अध्यक्षता में नियुक्त समिति ने जनसंख्या अनुसंधान केन्द्रों को सक्रिय एवं सुदृढ़ करने के समग्र प्रयासों के एक अंग के रूप में अन्य बातों के साथ-साथ देश में जनसंख्या अनुसंधान केन्द्रों के कार्यों में समन्वय रखने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर जनसंख्या अनुसंधान के लिए एक सर्वोच्च परिषद की स्थापना की सिफारिश की थी।

3. तदनुसार, भारत सरकार ने राष्ट्रीय सर्वोच्च स्तरीय समिति के रूप में राष्ट्रीय जनसंख्या अनुसंधान परिषद की स्थापना करने का निश्चय किया है जिसका गठन और दायित्व इस प्रकार होंगे ;

(क) गठन :

अध्यक्ष

1. सचिव, परिवार कल्याण विभाग

सदस्य

2–10 नौ जाने-माने जनांकिकीविद/समाज वैज्ञानिक/जनसंख्या वैज्ञानिक।

11–16 चिकित्सीय व सामाजिक विज्ञान अनुसंधान क्षेत्रों से संबंधित छह संस्थागत सदस्य।

17–20 जनसंख्या अनुसंधान केन्द्रों से चार सदस्य।

21–22 स्वयंसेवी संगठनों के दो प्रतिनिधि।

23–26 राज्य सरकार के चार सरकारी सदस्य। (परिवार कल्याण विभाग के प्रभारी सचिव)

27–29 केन्द्रीय सरकार के चार सरकारी सदस्य।
सदस्य–सचिव एवं महानिदेशक

30. निदेशक, अन्तरराष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान बम्बई।

(ख) दायित्वों का चार्टर,

(क) देश में जनसंख्या नियंत्रण और परिवार कल्याण के विशेष प्रसंग में जनसंख्या अध्ययन एवं अनुसंधान पर एक राष्ट्रीय नीति तैयार करना।

(ख) जनसंख्या नियंत्रण तथा परिवार कल्याण कार्यक्रम के नियोजन और क्रियान्वयन के विशेष प्रसंग में जनसंख्या अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए संगठनात्मक व संस्थागत प्रबंध पर भारत सरकार को परामर्श देना।

(ग) जनसंख्या और परिवार कल्याण अनुसंधान कार्यकलापों की समीक्षा करना, यदि कोई दोष हो तो उसे पहचानना, और इस मामले में उपयुक्त दृष्टिकोण व दिशा-निर्देश देना।

(घ) देश से जनसंख्या नियंत्रण और परिवार कल्याण कार्यक्रम के प्रसंग में प्राथमिकता क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए जनसंख्या अनुसंधान केन्द्रों के अनुसंधान कार्यकलापों की जांच करना एवं उनके भावी कार्यकलापों के लिए दिशा-निर्देश देना।

(ङ) अनुसंधान संबंधी निष्कर्षों का परीक्षण करना, उनके नीति संबंधी आशयों का अध्ययन करना तथा नीति प्रतिपादन, कार्यक्रम क्रियान्वयन व कार्यक्रम के परिणामों के मूल्यांकन, से संबंधित सूचना का उपयोग करने के तरीकों व साधनों का सुझाव देना, जिसमें इन उपलब्धियों का प्रकाशन और प्रसार भी शामिल है।

(च) जनसंख्या और परिवार कल्याण अनुसंधान कार्य में लगे या लगने वाले व्यक्तियों के लिए अनुसंधान प्रणाली विज्ञान में अनुसंधान कौशलों और प्रशिक्षण के विकास के लिए उपायों की सिफारिश करना।

(छ) परिवार नियोजन कार्यक्रम के प्रभाव के मूल्यांकन के लिए देश में जीवन-मरण संबंधी आंकड़ों की स्थिति की समीक्षा।

(ज) जनसंख्या और परिवार कल्याण अनुसंधान में संबंधित कार्यकलापों में लगे विभिन्न अनुसंधान संगठनों के मध्य संपर्क विकसित करना।

4. इस परिषद की अवधि गठित होने की तारीख से दो वर्ष होगी और यह परिषद अपनी अवधि की समाप्ति पर पुनः गठित की जाएगी।

5. प्रत्येक पुनर्गठन के होने पर, सचिव (प०क०) अध्यक्ष और निदेशक, अन्तरराष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान, सदस्य सचिव और महानिदेशक बने रहेंगे। जनसंख्या अनुसंधान केन्द्रों और राज्य सरकारों के प्रतिनिधि बारी-बारी से सदस्य बनाए जाएंगे।

6. परिषद की बैठक छह महीनों में एक बार होगी। तथापि, आवश्यकता होने पर इसकी बैठक अधिक बार हो सकती है।

7. विशिष्ट उद्देश्यों के लिए, जब कभी आवश्यकता पड़े तो यह परिषद कार्यकारी समूहों/समितियों को सह-योजित और/या स्थापित कर सकती है। अन्तरराष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान, बम्बई द्वारा इस परिषद को सचिवालयीन सहायता प्रदान की जाएगी जिसके लिए आवश्यक वित्तीय सहायता स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रदान की जाएगी। सचिवालय अन्तरराष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान बम्बई में स्थित होगा। परिषद के लिए व्यय अन्तरराष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान, बम्बई द्वारा अपनी निधि से प्रदान किया जाएगा।

8. यह परिषद परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन कार्य करेगी।

9. इस परिषद के गैर-सरकारी सदस्यों को इस परिषद की बैठकों में भाग लेने के लिए वही यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता मिलेगा जो प्रथम ग्रेड के केन्द्र सरकार के अधिकारी के लिए अनुज्ञेय होता है। गैर सरकारी सदस्यों को यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता अन्तरराष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान की निधि से मिलेगा जिसकी प्रतिपूर्ति स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा की जाएगी।

10. परिषद के अन्य सदस्य उन्हें अनुज्ञेय यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता उस स्रोत से लेंगे जहां से वे अपने वेतन और भत्ते प्राप्त करते हैं।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

जे० सी० जेटली
सचिव

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 7 अप्रैल 1991

संकल्प

स० 24-3/89-सी०पी० 2.—भारत सरकार के संकल्प संख्या 24-2/86-सी०पी० 2 दिनांक 22 दिसम्बर, 1986 के द्वारा गठित भारतीय पटसन विकास परिषद को तत्काल

से पुनर्गठित करने का निर्णय किया है। पुनर्गठित परिषद का गठन निम्न प्रकार होगा :—

1. अध्यक्ष	एक गैर-सरकारी सदस्य जिसे भारत सरकार नामजद करेगी।
2. उपाध्यक्ष	कृषि आयुक्त, कृषि मंत्रालय, कृषि और सहकारिता विभाग, नई दिल्ली।
3. क. संसद सदस्य	तीन संसद सदस्य (दो लोक सभा से तथा एक राज्य सभा से) जिन्हें संसदीय कार्य विभाग नामजद करेगा।
ख. राज्य सरकारों के प्रतिनिधि	निम्न प्रत्येक राज्य सरकार के कृषि विभाग का एक प्रतिनिधि जिसे सम्बन्धित राज्य सरकार नामजद करेगी :— (1) आन्ध्र प्रदेश (2) असम (3) बिहार (4) मेघालय (5) उड़ीसा (6) त्रिपुरा (7) उत्तर प्रदेश (8) पश्चिम बंगाल
(ग) केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधि	(क) योजना आयोग, नई दिल्ली का एक सदस्य
	(ख) संयुक्त सचिव (विस्तार), कृषि मंत्रालय, कृषि और सहकारिता विभाग, नयी दिल्ली या उसके द्वारा नामजद व्यक्ति।
	(ग) पटसन आयुक्त, वाणिज्य मंत्रालय, कलकत्ता।
	(घ) निदेशक, पटसन, कृषि अनुसंधान संस्थान, बैरकपुर, पश्चिम बंगाल।
	(ङ) निदेशक, पटसन औद्योगिकी अनुसंधान प्रयोगशाला, डी-12, रीजेन्ट पार्क, कलकत्ता।
	(च) महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नयी दिल्ली या उसके द्वारा नामजद व्यक्ति।
	(छ) प्रबन्ध निदेशक, भारतीय पटसन निगम, कलकत्ता।
	(ज) संयुक्त आयुक्त (वाणिज्यिक फसलें) कृषि तथा सहकारिता विभाग।
	(झ) नागरिक आपूर्ति मंत्रालय का एक प्रतिनिधि।
घ. उत्पादकों के प्रतिनिधि	(क) निम्न पटसन उत्पादक राज्यों में प्रत्येक से पटसन उत्पादकों का एक प्रतिनिधि, जिसे संबंधित राज्य सरकार नामजद करेगी :— (1) आन्ध्र प्रदेश (2) असम (3) बिहार (4) मेघालय (5) उड़ीसा (6) उत्तर प्रदेश (7) त्रिपुरा (8) पश्चिम बंगाल
	(ख) पटसन उत्पादकों का एक प्रतिनिधि जिसे भारत सरकार नामजद करेगी।
ङ. उद्योग का प्रतिनिधि	भारतीय पटसन मिल संघ, कलकत्ता, का एक प्रतिनिधि।
च. व्यापार का प्रतिनिधि	जूट बीलर्स एसोसिएशन, कलकत्ता का एक प्रतिनिधि।
छ. कर्मचारियों का प्रतिनिधि	(1) फार्म में लगे कर्मचारी—एक (2) फैक्ट्री में लगे कर्मचारी—एक

झ. समय-समय पर भारत सरकार द्वारा नामजद किये जाने वाले अन्य व्यक्ति।

सदस्य सचिव	निदेशक, पटसन विकास निदेशालय, कलकत्ता।
5. प्रेक्षक—	(ये व्यक्ति परिषद के सदस्य नहीं होंगे परन्तु उन्हें परिषद के विचार-विमर्श में सहायता के लिए नियमित रूप से आमंत्रित किया जाएगा।
	1. अध्यक्ष, राज्य व्यापार निगम या उनका प्रतिनिधि।
	2. वित्तीय सलाहकार, कृषि मंत्रालय, कृषि और सहकारिता विभाग।
	3. अर्थ और सांख्यिकी सलाहकार, कृषि मंत्रालय, नई दिल्ली या उनका प्रतिनिधि।

4. कृषि विपणन सलाहकार, ग्रामीण विकास विभाग या उनका प्रतिनिधि।

5. राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ (नाफेड), नई दिल्ली का एक प्रतिनिधि।

6. प्रबन्ध निदेशक, राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, बीज भवन, नई दिल्ली।

7. वनस्पति रक्षण सलाहकार, कृषि मंत्रालय, कृषि और सहकारिता विभाग, फरीदाबाद।

8. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली का एक प्रतिनिधि।

9. अध्यक्ष, कृषि मूल्य आयोग या उनका प्रतिनिधि।

2. परिषद सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करेगी तथा उसके निम्नलिखित कार्य होंगे :—

(क) पटसन, मेस्ता तथा अन्य रेशे वाली फसलों (कपास को छोड़कर) के बारे में केन्द्रीय तथा राज्य क्षेत्रों में विकास कार्यक्रम पर विचार करना। समय-समय पर उनकी प्रगति की संवीक्षा करना तथा पटसन और मेस्ता का उत्पादन बढ़ाने के उपाय सुझाना;

(ख) पटसन के उत्पादन और विपणन और पटसन उत्पादकों को लाभप्रद मूल्य दिलाने से सम्बद्ध समस्याओं पर विचार करना तथा इन मामलों पर सरकार को सलाह देना;

(ग) देशी तथा निर्यात मंडियों में पटसन की विभिन्न किस्मों की मांग के संबंध में विचार करना तथा तदनुसार पटसन उत्पादन के कार्यक्रमों में आवश्यक समायोजन हेतु सुझाव देना;

(घ) पटसन और मेस्ता के बारे में छोटे तथा सीमान्त किसानों की विशेष जरूरतों पर विचार करना और उनकी पूर्ति के लिए उचित उपायों का सुझाव देना;

(ङ) पटसन और मेस्ता से सम्बद्ध अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रमों के बीच समन्वय करना और पटसन तथा मेस्ता की क्वालिटी और उत्पादकता में सुधार लाने की आवश्यकता के बारे में सलाह देना; और

(च) सरकार को ऐसे अन्य सम्बद्ध विषयों पर सलाह देना, जो समय-समय पर आवश्यक समझी जाएं।

3. परिषद को विशेष मामलों पर विचार करने के लिए स्थाई समितियां, तकनीकी समितियां और तदर्थ समितियां नियुक्त करने तथा आवश्यकता पड़ने पर विशेष उद्देश्यों हेतु कृषि विश्वविद्यालयों और अन्य विशेष रुचि रखने वालों के प्रतिनिधियों को सदस्य के रूप में सहयोजित करने की शक्तियां प्राप्त होंगी।

4. परिषद पटसन उगाए जाने वाले क्षेत्रों तथा पटसन के व्यापार एवं उद्योग से सम्बद्ध महत्वपूर्ण केन्द्रों में समय-समय पर बैठकें करेगी तथा भारत सरकार को सुझाव देगी।

5. परिषद उस समय तक कार्य करती रहेगी जब तक कि भारत सरकार के संकल्प द्वारा उसे समाप्त न कर दिया जाए। परिषद के अध्यक्ष तथा अन्य गैर-सरकारी सदस्यों का कार्यकाल परिषद के लिए मनोनीत होने की तारीख से 3 वर्ष तक होगा, बशर्ते कि भारत सरकार अपने विशेष आदेश द्वारा उसे घटा या बढ़ा न दें।

6. संसद सदस्यों में से नामजद किए जाने वाले सदस्यों की सदस्यता उनके संसद सदस्य न रहने पर समाप्त हो जाएगी।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति सभी राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों, भारत सरकार के मंत्रालयों, योजना आयोग, मंत्रिमण्डल सचिवालय, प्रधान मंत्री का सचिवालय, लोक सभा सचिवालय तथा राज्य सभा सचिवालय को भेज दी जाए।

2. यह भी आदेश दिया जाता है कि सार्वजनिक जानकारी हेतु इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाए।

के० राजन,
संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi-110 001, the 11th April 1991

No. U 13034/42/90 GP.—In exercise of the powers, conferred by sub-section (4) of section 13 of the Immoral Traffic (Prevention) Act, 1956 (104 of 1956), the Central Government hereby appoints the Superintendent of Police (CID), Pondicherry as trafficking police officer for the purpose of the said Act.

S. DUTTA, Dy. Secy.

MINISTRY OF COMMERCE

(DEPARTMENT OF SUPPLY)

New Delhi, the 16th April 1991

No. A. 32014/2/88-E.I.—The President is pleased to continue the ad hoc appointments of the undermentioned Officers in the grade of Assistant Director of Supplies (Grade II) for a further period of three months beyond 31-3-1991, i.e. from 1-4-1991 to 30-6-1991 or till Officers for regular appointment become available, whichever is earlier :—

(S/Shri)

1. K. Venkatasubramani
2. Bhaskar Bhaduri
3. V. Murgabandhu
4. V. B. Jadhav
5. I. C. Jain
6. P.N. Guha
7. M.P. Saxena
8. H.B. Vohra
9. S.R. Sanyal
10. J.J.R. Srivastava
11. Puran Singh
12. B.K. Gupta
13. B. K. Guliani
14. V. Dorai Kanan
15. P.S. Sondhi
16. Maidan Singh
17. B.K. Jain
18. M.S. Tiwari
19. Ramesh Babu Gupta
20. K.S. Sauran
21. K.P. Vittal

2. The ad hoc appointments of the above mentioned Officers shall not bestow on them claim for regular appaointment to A.D.S. (Grade II). The service remained on ad hoc basis in the posts of Assistant Directors of Supplies (Grade II) shall not count for the purpose of eligibility for promotion and confirmation in the grade.

No. A-32013/7/88-NSI.——The President is pleased to appoint Shri R Sundararaman, a Junior Administrative Grade (Ordinary Grade) Officer of the Indian Supply Service to the Selection Grade (Non-Functional) of the said service on regular basis with effect from 1-1-86, in the pay scale of Rs. 4500-150-5700 in the Directorate General of Supplies and Disposals, New Delhi.

R.P. BATRA, Under Secy.

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE

(DEPARTMENT OF FAMILY WELFARE)

New Delhi, the 12th April 1991

Subject : Establishment of National Council of Population Research (NCPR).

No. V. 16011/6/90-E&I.—In accordance with the Government Resolution of No. V. 16011/6/90-E&I dated 12th April, 1991 the Government directs that the composition of National Council of Population Research will be as follows :—

Chairman

1. Secretary (Family Welfare)

2—10. *Eminent Demographers/Social Scientists/Population Scientists* :

The names shall be notified later.

11—16. *Institutions*

Members

11. Director General, ICMR, New Delhi.
12. Director, NIHFW, New Delhi
13. Director General, CSO, New Delhi
14. Chairman, ICSSR, New Delhi.
15. Director Tata Institute of Social Sciences, Bombay.
16. Director, IIHMR, Jaipur.

17—20. *Population Research Centres*

17. Director, PRC, Baroda
18. Director, PRC, Dharwad
19. Director, PRC, Pune
20. Director, PRC, Trivandrum

21-22. *Volutary Organisations*

21. President, FPAI, Bombay
22. Director, Child in Need Institution Daulat Pur, 24 Parganas (West Bengal).

23—26. *State Government representatives*

23. Secretary, Family Welfare, Bihar, Patna
24. Secretary, Family Welfare, Madhya Pradesh, Bhopal.
25. Secretary, Family Welfare, Uttar Pradesh, Lucknow.
26. Secretary, Family Welfare, West Bangal, Calcutta.

27—29. *Central Government representatives*

27. Adviser (Health), Planning Commission
28. Registrar General of India
29. Joint Secretary, dealing with NCPR, Department of Family Welfare.

30. *Member Secretary and Director General*

30. Director, IIPS, Bombay.

Subject : Establishment of National Council of Population Research (NCPR).

No. V. 16011/6/90-E&I.—Population Studies and population research have emerged as important activities bearing considerable relevance to planning and implementation of socio-economic programmes in general and population control and family welfare programme in particular. Population Research Centres (PRCs) established in different parts of the

country have been working over the last many years in this field. Many universities, Government agencies, institutions and voluntary organisations have also been working in related fields of activity. It is necessary to coordinate and channelise all these efforts, especially the activities of PRCs, to subserve the national goal of maximising the population control and family welfare efforts in the country.

2. The Committee appointed by Government of India under the chairmanship of Prof. Moonis Raza to undertake a review of functions of PRCs, had, interalia, recommended establishment of an Apex Council for Population Research at the national level to coordinate the activities of PRCs in the country as a part of the overall effort to energise and recamp the PRCs.

3. Accordingly, the Government of India have decided to establish the National Council of Population Research (NCPR) as a National Apex Level Committee with the following composition and charter of responsibilities :

(A) *Composition* :

Chairman

1. Secretary, Department of Family Welfare.

Members

2—10. Nine eminent Demographers/Social Scientists/Population Scientists.

11—16. Six institutional members belonging to medical and social science resarch fields.

17—20. Four members from Population Research Centres.

21-22. Two representatives of voluntary organisations.

23-26. Four State Government official members (Secretaries in-charge of Family Welfare Deptt.).

27—29. Three Central Government official members.

Member Secretary and Director General

30. Director, IIPS, Bombay.

(B) *Charter of Responsibilities* :

(a) To formulate a National Policy for Population Studies and Research with special relevance to population control and family welfare programme in the country.

(b) To advise Government of India on organisational and institutional arrangement for the promotion of population research with special reference to planning and implementation of population control and family welfare programme.

(c) To review the status of population and family welfare research activities, identify deficiencies, if any, and suggest suitable approach and direction in the matter.

(d) To examine the research activities of PRCs, and provide directions to their future activities keeping in view priority areas relevant to population control and family welfare programme in the country.

(e) To examine the research findings, study their policy implications and suggest ways and means of utilising the information for policy formulations, programme implementation and evaluation of the programme results including publication and dissemination of these findings.

(f) To recommend measures for the development of research skills and training in research methodology for persons engaged or likely to be engaged in population and family welfare research.

(g) To review the status of vital statistics in the country for assessment of impact of family planning programme; and

(h) To develop Linkages between different research organisations involved in activities relating to population and family welfare research.

4. The term of the Council shall be two years from the date of constitution and the Council shall be reconstituted after expiry of its term.

5. On every reconstitution, Secretary (FW) would continue to be the chairman and Director IIPS the Member-Secretary and Director General. The representatives of PRCs and State Governments will be rotated.

6. The Council shall meet once in six months. However, it may meet more frequently if the need arises.

7. The Council may coopt and/or set up working groups/committees as and when required for specific purposes. The secretariat assistance to the council will be provided by the IIPS, Bombay for which necessary financial support will be provided by the Ministry of Health & Family Welfare. The Secretariat will be located at IIPS Bombay. The expenses for the Council shall be provided by the IIPS, Bombay from its funds.

8. The Council will function under the aegis of Department of Family Welfare, Ministry of Health & Family Welfare.

9. The non-officials members of the Council shall be paid TA and DA for attending the meetings of the Council as admissible to an officer of the Central Government of first grade. The TA and DA of non-official members would be met from the funds of IIPS to be reimbursed by the Ministry of Health & F. W.

10. The other members of the Council shall draw TA and DA as admissible to them from the same source from which they get their pay and allowances.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution may be sent to all State Governments, Union Territory Administrations and all Ministries of the Government of India.

ORDERED also that this Resolution may be published in the Gazette of the Government of India.

J. C. JETLI, Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE

(DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION)

New Delhi, the 7th April 1991

RESOLUTION

No. 24-3/89-C.A. II.—The Government of India has decided to reconstitute the Indian Jute Development Council, constituted vide Resolution No. 24-2/85-C.A. II dated the 22nd December, 1986. The reconstituted Council will be composed as follows :—

Chairman

A Non-official to be nominated by the Government of India.

Vice Chairman

Agriculture Commissioner, Ministry of Agriculture, Department of Agriculture and Cooperation, New Delhi.

Members

A. *Members of Parliament*

Three Members of Parliament (two from Lok Sabha and one from Rajya Sabha) to be nominated by the Department of Parliamentary Affairs

B. *Representatives of State Governments*

One representative from each of the following States in the Department of Agriculture to be nominated by the respective State Governments: —

(i) Andhra Pradesh
(ii) Assam
(iii) Bihar
(iv) Meghalaya
(v Orissa
(vi) Tripura
(vii) Uttar Pradesh
(viii) West Bengal

C. *Representatives of Central Government*

a. Adviser (Agriculture) Planning Commission, New Delhi.

b. Joint Secretary (Extension), Department of Agriculture and Cooperation or his nominee.

c. Jute Commissioner, Ministry of Textiles, Calcutta.

d. Director General, Indian Council of Agriculture Research, New Delhi or his nominee.

e. Director, Jute Agricultural Research Institute, ICAR, Barrackpure, Wes Bengal.

f. Director, Jute Technological Research Laboratory, Calcutta.

g. Managing Director, Jute Corporation of India, Calcutta.

h. Joint Commissioner dealing with the Jute in the Department of Agriculture and Cooperation.

i. A representative of the Ministry of Civil Supplies.

D. *Representatives of Growers*

One Grower's representatives to be nominated by the respective State Governments from the major jute/mesta growing States as follows :—

	(No. of representatives)
1. Andhra Pradesh	One
2. Assam	One
3. Bihar	One
4. Meghalaya	One
5. Orissa	One
6. Uttar Pradesh	One
7. Tripura	One
8. West Bengal	One

E. *Representative of Trade*

One representative of the Jute dealers Association, Calcutta.

F. *Representative of Industry*

One representative of the Indian Jute Mills Association, Calcutta.

G. *Representatives of Workers*

(i) Workers engaged in Farms—One
(ii) Workers engaged in Factories—One

H. *Such Additional Persons as may from time to time be nominated by the Government of India.*

Member Secretary

The Director, Directorate of Jute Development 234/4, Acharyya Jagdish Bose Road, Nizam Palace Campus, Calcutta.

Observers

(Who would not be members of the Council but would be invariably invited to assist the Council in its deliberations).

1. Chairman, State Trading Corporation or his representative.
2. Agricultural Marketaing Adviser, Ministry of Rural Development or his representative.
3. Financial Adviser, Department of Agriculture and Cooperation.
4. Economic and Statistical Adviser, Ministry of Agriculture, Department of Agriculture and Cooperation or his nominee.
5. Plant Protection Adviser to the Government of India, Department of Agriculture and Cooperation or his nominee.
6. Chairman, Agricultural Costs and Prices Commissioner or his representative.
7. Managing Director, National Seeds Corporation.
8. Managing Director, National Cooperative Development Corporation, New Delhi.
9. A representative of the NAFED.

2. The Council will be an advisory body and will have the following functions :—

(i) To consider development programme in the Central and State Sector in respect of Jute, mesta and other fibre (Crops) (excluding Cotton) thereof from time to time, and recommend measures for increasing the production of jute and mesta;

(ii) To consider problems relating to the production and marketing of jute and remunerative prices to jute growers and advise Government in these matters;

(iii) To consider demands for different varieties of jute in the domestic as well as export markets and advises Government about necessary arrangements for meeting the said demands through suitable development programme accordingly;

(iv) To consider the special needs of small and marginal farmer in respect of jute and mesta production and suggest suitable measures for meeting the same;

(v) To facilitate coordination between Research and Development programmes relating to jute and mesta to advise about the needs for improvement in the quality and productivity of jute & mesta; and

(vi) To advise Government on such other connected matters as may be considered necessary from time to time.

3. The Council will have the powers to set up Standing Committee, Technical Committee and Ad hoc Committee to look into specific issues and to coopt members such as representative of Agricultural Universities and other special interests as and when necessary, for specific purposes.

4. The Council will meet periodically in areas in which jute is grown and at important centres of trade and industry and will make recommendations to the Government of India.

5. The Council will continue to function until it is abolished by Resolution of the Government. The term of the Chairman and other non-official members of the Council would be three years from the date they are nominated on the Council unless this period is curtailed or extended by a specific order of the Government of India.

6. Those members of the Council who are nominated from among Members of the Parliament will cease to be the members of the Council as soon as they cease to be Members of Parliament.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all State Governments, Administrations of Union Territories and Ministries of the Government of India, Planning Commission, Cabinet Secretariat, Prime Minister's Office, Lok Sabha and Rajya Sabha Secretariat.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

K. RAJAN, Jt. Secy.

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 1991
Printed by the Manager Govt. of India Press, Faridabad & Published by the Controller of Publications, Delhi—1991